न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नाई
2. प्रकरण संख्या : 186/2020
3. उनवान : सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना भांकरोटा

बनाम

1. श्री अब्दुल सलाम पुत्र श्री मोहम्मद कालिम निवासी मकान नं. 131, मोहल्ला शेखान, गांव मलियाना, थाना टी.पी. नगर, मेरठ, यू0पी0, हाल मकान नं. 120, संजय नगर बी., थाना झोटवाडा, जयपुर।
2. श्री यसवीर सिंह पुत्र श्री जयपाल सिंह निवासी छुर्र, थाना सरधना, जिला मेरठ, उत्तरप्रदेश।
3. श्री आसिफ पुत्र श्री मंजूर अहमद, मकान नं. 124, मोहल्ला शेखान, गांव मलियाना, थाना टी.पी. नगर, उत्तरप्रदेश।
4. श्री समीर पुत्र श्री मोहम्मद कामिल निवासी 121, मोहल्ला, शेखान, गांव मलियाना, थाना टी. पी. नगर, मेरठ, उत्तरप्रदेश हाल निवासी 120 संजय नगर बी. झोटवाडा, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 07/03/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री सियाराम शर्मा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना भांकरोटा, जिला जयपुर शहर(पश्चिम) द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 12.11.2012 को श्री बजरंग सिंह सहायक पुलिस आयुक्त सदर, जयपुर पश्चिम ने थाने में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसमें अंकित है कि दिनांक 11.11.2012 को सूचना पर थानाधिकारी भांकरोटा मय जाप्ते के रिको औद्योगिक क्षेत्र बिन्दायका के प्लॉट नं. जी. 1–108 पर दबिश दी जाकर जांच की गई तो उक्त प्लॉट पर तीन प्लॉट नं. जी. 1–108, पर पंहुचे। मौके पर तीन टैंकर नंबर क्रमशः आर. जे. 14 जी.ई. 3015, आरजे. 14 जी.सी. 8485 व आर.जे. 14 जी.ए. 8783 खडे मिले। उक्त टैंकरों को चैक करने पर उनमें पैट्रोलियम पदार्थ जैसा तरल द्रव्य भरा हुआ मिला। मौके पर अब्दुल सलाम उपस्थित मिले जिसने उक्त प्लॉट को किराये पर लेकर तेल का धन्धा करता है। मौके पर इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन की टीम ने जांच करने पर टैंकर मे क्रूड ऑयल होने की संभावना बताई। मौके पर मौजूद अब्दुल सलाम से टैंकरों एवं उनमें भरे पैट्रोलियम उत्पाद बाबत कागजात बिल, बिल्टी, रजिस्ट्रेशन आदि पेश नहीं किये। ऐसी स्थिति में मौके से जनरेटर, मोटर, पाईप और तीन टैंकर नंबर क्रमशः आर.जे. 14 जी.ई. 3015 मय 20 हजार लीटर पैट्रोलियम जैसा तरल द्रव्य, आरजे. 14 जी.सी. 8485 मय 2 हजार लीटर पैट्रोलियम जैसा तरल द्रव्य व आर.जे. 14 जी.ए. 8783 मय 16 हजार लीटर पैट्रोलियम जैसा तरल द्रव्य जब्त किये। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र, फर्द जप्ती व एफ.आई. आर. की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 2 को पहले साधारण नोटिस व बाद में रजि0 नोटिस जारी किये जो एक माह पश्चात भी लौटकर प्राप्त नहीं हुये। दिनांक 23.05.2013 को अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वयं को उक्त तीनों टैंकरों का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर गाडी को रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें दिनांक 10.06.2013 को रुपये 3,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी टैंकर संख्या आरजे. 14 जी.सी. 8485 के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। दिनांक

10.06.2013 को रुपये 7,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी टैंकर संख्या आर.जे. 14 जी.ए. 8783 के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। दिनांक 10.06.2013 को रुपये 3,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी टैंकर संख्या आर.जे. 14 जी.ई. 3015 के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। दिनांक 23.03.2015 को इण्डियन ऑयल कम्पनी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर तीनों टैंकरों में जब्त 38 हजार लीटर क्रूड ऑयल की सुपुर्दगी कम्पनी को करने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या व 1, 3 व 4 पूर्व में उपस्थित हुए थे। परन्तु तत्पश्चात कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया ना ही किसी तारीख पेशी पर उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या 2 आज दिनांक तक अनुपस्थित रहे। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। आज बारम्बार आवाज दिलाने के बावजूद कोई भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हैं। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 11.02.2025 को आदेश हेतु रखी गई। परन्तु अन्य राजकार्य में व्यस्त रहने के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। वास्ते निर्णय दिनांक 07.03.2025 को रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 11.11.2012 को सूचना पर रिको औद्योगिक क्षेत्र बिन्दायका के प्लॉट नं. जी. 1–108 पेट्रोलियम पदार्थ मय वाहन व अन्य संबंधित सामानों को जब्त किया गया। मौके पर अब्दुल सलाम उपस्थित मिले जिसने उक्त प्लॉट को किराये पर लेकर तेल का धन्धा करना बताया। इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन की जांच टीम ने बताया कि उक्त तरल पदार्थ क्रूड ऑयल है और संभवतया यह मथुरा व पानीपत रिफायनरी से चोरी किया हो सकता है। यह संदेह होने पर ही जप्ती की कार्यवाही किया जाना जाहिर होता है। अप्रार्थीगण के पास ऑयल बेचने संबंधी कोई लाईसेंस नहीं है तथा इनके ऑयल चोरी करने वाले सरगनाओं से सांठ गांठ की संभावना है। अब्दुल सलाम ने आदित्य बायो डीजल के नाम से सांगानेर के पते पर फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाया है तथा क्रूड ऑयल बेचने के लिये फर्जी बिल वाउचर भी तैयार कर रखे हैं। फर्जी तरीके से टैंकरों पर आई.ओ.सी. का लोगो व मार्का लगा रखा है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त टैंकरों में भरे पदार्थों के बारे कोई वैध क्रय विक्रय के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किये। प्रकरण में श्री अब्दुल सलाम द्वारा स्वयं को वाहनों व उनमें भरे उत्पाद का मालिक बताया व सुपुर्दगीनामा जमानतनामा पेश करने पर न्यायालय द्वारा उक्त जब्त वाहन को सौंप दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर और आदिनांक तक कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त पैट्रोलियम पदार्थ को अवैध रुप से खरीदना व बेचना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत सपठित विलापक रेफीनेन्ट और स्लोप(अर्जन विक्रय भण्डारण और ऑटो मोबाईल में उपभोग का निवारण) आदेश 2000 व मोटर स्प्रीट और उच्च बैग डिजल(प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन है। प्रकरण में अब्दुल सलाम के सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने पर तीनों टैंकरों के मोचन(रिलीज) आदेश जारी किये गये थे। परन्तु उक्त अवैध करोबार में उक्त वाहनों की प्रत्यक्ष रुप से संलिप्तता रही है। जिससे पैट्रोलियम पदार्थ के अवैध परिवहन की पुष्टी होती है। ऐसे में जनरेटर, मोटर, पाईप और तीन टैंकर नंबर क्रमशः आर.जे. 14 जी.ई. 3015 मय 20 हजार लीटर पैट्रोलियम जैसा तरल द्रव्य, आरजे. 14 जी.सी. 8485 मय 2 हजार लीटर पैट्रोलियम जैसा तरल द्रव्य व आर.जे. 14 जी.ए. 8783 मय 16 हजार लीटर पैट्रोलियम जैसा तरल द्रव्य को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त सामग्री को नियमानुसार अन्तिम निस्तारण किया जाकर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/03/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR